EDS Sent through online portal on dated 30-07-2015

Ref : Proposal no.FP/UP/Trans/10148/2015

सन्दर्भित प्रस्ताव की हार्ड कापी प्रभागीय निदेशक, मेरठ के पत्रांक–261/14–1, दिनांक 20.07.15 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनाओं/अभिलेखों का अभाव पाया गया, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– जिलाधिकारी द्वारा निर्गत सर्किल रेट की सूची व तद्नुसार प्रस्तावित वनभूमि का मूल्यांकन प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

2– प्रस्तावित वनभूमि का प्रीमियम व लीजरेन्ट उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।

3– सामान्यतः भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा 1.00 हे0 से कम प्रभावित वनभूमि, जिनमें वृक्ष पातन निहित नहीं है अथवा 10 वृक्षों से कम है, में अवनत वनभूमि पर 100 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण की शर्त अधिरोपित की जाती है। अतः तद्नुसार 100 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वनीकरण योजना, जो सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

4– मक डिस्पोजल योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मक डिस्पोजल योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

5– वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रस्ताव के साथ संलग्न जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र लीनियर परियोजना हेतु निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं है। जिलाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ नाम व सील अंकित नहीं है। सुसंगत मूल प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

6– जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र में अंकित है कि प्रस्तावित स्थल नगर–निगम मेरठ क्षेत्रान्तर्गत स्थित है, किन्तु इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर–निगम मेरठ का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण करते हुए संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।